प्रेस नोट जनपद फतेहपुर
दिनांक 10.02.2025

पुलिस मुठभेड़

गौकशी से संबंधित शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त थाना औंग क्षेत्रांतर्गत बहद ग्राम कीचकपुर के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार तथा कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस , 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 राशि गौवंश , गौकशी से संबंधित उपकरण व 120/- रूपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण- श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री धवल जायसवाल महोदय, जनपद फतेहपुर के द्वारा अपराध व अपराधियों व टॉप टेन अपराधियों तथा माफियाओं व वांछित व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद फतेहपुर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी बिंदकी फतेहपुर के कुशल निर्देशन में थाना औंग पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09/10.02.2025 की रात्रि में कस्बा औंग पुल के नीचे चेकिंग की जा रही थी तभी जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुयी कि एक व्यक्ति बहद ग्राम कीचकपुर के जंगलों में गौकशी करने की फिराक में है । इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल बहद ग्राम कीचकपुर के जंगलों में पहुंचकर देखा कि एक बछिया बंधी हुयी है, जिसे एक व्यक्ति काटने जा रहा था, पुलिस की टीम द्वारा घेराबंदी कर आत्म समर्पण हेतु कहा गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पर लक्ष्य कर फायर किया गया, आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त कबलू उर्फ इश्तियाक पुत्र बफाती निवासी मो0 रजोडा कोडा जहानाबाद थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र 35 वर्ष के बायें पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा घायल अभि0 को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर इलाज हेतु सीएचसी गोपालगंज ले जाया गया । अभियुक्त शातिर किस्म का गौवध से संबंधित अपराधी है। इसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद कारतूस (नाल में फसा हुआ) 315 बोर, 01 राशि गौवंश, गौकशी से संबंधित उपकरण- 01 अदद कुल्हाडी, 01 चापड़, 01 अदद चाकू, 01 अदद लकडी का ठिहा, 02 पैकेट काली पन्नी, 02 रस्सी, 01 प्लास्टिक की खुली हुई बोरी रंग नारंगी/ सफेद, एक अदद आपातकालीन बत्ती व 120/- रूपये नगद बरामद किये गये । मु0अ0सं0-015/2025 धारा- 109 बी0एन0एस0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट एवं 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 का अभियोग उपरोक्त के पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी से अपराध व आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगेगा।

घायल /गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः–

1. कबलू उर्फ इश्तियाक पुत्र बफाती निवासी मो0 रजोडा कोडा जहानाबाद थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर उम्र 35 वर्ष (H.S. N0 208 ख)

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर

2. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद कारतूस (नाल में फसा हुआ) 315 बोर
4. 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
5. 01 राशि गौवंश (बछिया)
6. गौकशी से संबंधित उपकरण- 01 अदद कुल्हाडी, 01 चापड़, 01 अदद चाकू, 01 अदद लकडी का ठिहा, 02 पैकेट काली पन्नी, 02 रस्सी, 01 प्लास्टिक की खुली हुई बोरी रंग नारंगी/ सफेद, व एक अदद आपातकालीन बत्ती
7. 120/- रूपये नगद

गिरफ्तार/घायल अभि0 कबलू उर्फ इश्तियाक पुत्र बफाती का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 137/16 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बकेवर फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 168/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानाबाद ।
3. मु0अ0सं0 02/20 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर ।4. मु0अ0सं0 48/18 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर ।
5. मु0अ0सं0 144/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानाबाद फतेहपुर ।
6. मु0अ0सं0 155/20 धारा 4/5 वि0 पदार्थ अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर ।
7. मु0अ0सं0 141/19 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना जहानाबाद फतेहपुर ।
8. मु0असं0 01/05 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 थाना जहानाबाद फतेहपुर । 9. मु0अ0सं0 54/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना ललौली फतेहपुर ।
10. मु0अ0सं0 34/23 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5क/8 गोवध नि0 अधि0 थाना औंग
11. मु0अ0स0 114/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
12. मु0अ0सं0 140/2015 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर
13. मु0अ0सं0 82/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बकेवर

गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना औंग –

1. थानाध्यक्ष श्री हनुमान प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री सुरेश चन्द्र सिंह
3. हे0का0 विनीत कुमार
4. का0 लोकेश कुमार
5. का0 संदीप कुमार
6. का0 अनिल कुमार यादव
7. का0 सुनील कुमार